<u>सैनिक कल्याण निदेशालय, झारखण्ड द्वारा</u>

<u>सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता विवरणी</u>

1. <u>द्वितीय विश्व युद्ध अनुदान</u> – द्वितीय विश्व युद्ध के विसर्जित सैनिकों एवं उनके विधवाओं को ₹ 10,000/– प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

2. <u>अंतिम संस्कार अनुदान</u> – राज्य निवासी समस्त रैंकों के भूतपूर्व सैनिकों के मरणोंपरांत तथा पिछले 15 वर्षों से झारखण्ड राज्य में निवास कर रहे एवं झारखण्ड राज्य के किसी भी जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से निर्गत पहचान प्राप्त भूतपूर्व सैनिकों के मरणोंपरांत, मृत्यु की सूचना मिलने पर उनके आश्रितों को अंतिम संस्कार हेतु ₹ 10,000/– रूपये (एक बार) आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान किया जाता है।

3. <u>अनुग्रह अनुदान</u> – राज्य निवासी भारतीय सेना के समस्त रैंकों के सैन्य कर्मियों को सेवा के दौरान मृत्यु होने पर ₹ 2,00,000/– तथा गंभीर रुप से घायल हाने पर ₹ 1,00,000/– राहत के तौर पर एक बार आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान किया जाता है।

4. <u>सहानुभूति अनुदान</u> – झारखंडवासी वयोवृद्ध भूतपूर्व सैनिकों एवं विधवाओं (जिनको किसी भी श्रोत से पेंशन/आर्थिक सहायता न मिलता हो) को जिला सैनिक कल्याण कार्यालय तथा सैनिक कल्याण निदेशालय द्वारा क्रमश ₹ 3,000/– एवं ₹ 5,000/– रूपये वर्ष में केवल एक बार अनुदान स्वरूप भुगतान किये जाने का प्रावधान है।

5. घरों की मरम्मति/नवीकरण हेतु हवलदार रैंक तक के भूतपूर्व सैन्य कर्मियों एवं उनके विधवाओं को एक मुश्त आर्थिक सहायता के रूप में दी जाने वाली स्वीकृत अनुदान राशि निम्न प्रकार हैः–

(i) पुराने घरों की मरम्मति/नवीकरण हेतु ₹ 10,000/– रूपये तक

(ii) अतिरिक्त कमरा/स्नानघर/रसोई घर बनाने हेतु ₹ 30,000 रूपये तक

6. <u>कियोस्क अनुदान</u> – भूतपूर्व सैन्य कर्मियों जे0सी0ओ0 रैंक तक एवं उनके विधवाओं को जिनके पास बाजार/Village Hut के निकट अपनी जमीन है और वे अपना व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं तो स्टॉल (KIOSK) बनाने के लिए उन्हें रूपये ₹ 30,000/– की सहायता की राशि दी जाती है।

7. <u>पुनर्विवाह अनुदान</u> – सैन्य कर्मियों के मृत्यु पश्चात उनके विधवाओं को पुनर्विवाह हेतु ₹ 1,00,000/– का अनुदान आर्थिक सहायता के रुप में दी जाती है।

8. <u>पुत्री विवाह अनुदान</u> – जे0सी0ओ0 रैंक तक के भूतपूर्व सैन्य कर्मियों एवं उनके विधवाओं को पुत्री विवाह हेतु रूपये ₹ 50,000/– अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है।

9. <u>शिक्षा अनुदान</u> – जे0सी0ओ0 रैंक तक के भूतपूर्व सैन्य कर्मियों की विधवाओं तथा हवलदार रैंक तक आश्रित बच्चों को पहले वर्ग से वार्षिक परीक्षा में 50% एवं अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने पर निम्नलिखित दरों से वार्षिक शिक्षा अनुदान दिया जाता है :–

(i)	कक्षा पहली से पाँचवी तक	–	₹ 6,000/– प्रतिवर्ष
(ii)	कक्षा छठी से मैट्रिक तक	–	₹ 8,000/– प्रतिवर्ष
(iii)	मैट्रिक से उपर	–	₹ 12,000/– प्रतिवर्ष

10. <u>मेधावी प्रोत्साहन अनुदान</u> – भारतीय सेना के समस्त रैंकों के भूतपूर्व सैन्य कर्मियों एवं उनकी विधवाओं के बच्चों (12वीं कक्षा के मेधावी छात्रों) को उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन करने पर उनके सम्मान एवं मनोवल बढ़ाने हेतु निम्नलिखित दरों से मेधावी अनुदान दिया जाता है :–

(i) 85% से 89% तक – ₹ 15,000/–
(ii) 90% एवं अधिक – ₹ 20,000/–

11. <u>कंप्युटर कोर्स प्रतिपूर्ति शुल्क</u> – भूतपूर्व सैन्य कर्मियों के आश्रितों द्वारा निम्नलिखित कंप्यूटर कोर्स का सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सफलता पूर्वक समापन पश्चात निम्नलिखित दरों से एक बार कंप्युटर कोर्स प्रतिपूर्ति शुल्क प्रदान किया जाता है :–

(i) Basic Course (3 months and above)	–	₹ 15,000/–
(ii) Certificate/Diploma Course (6 months and above)	–	₹ 30,000/–
(iii) Graphic & Web Designing/ Artificial Intelligence/ Data Science (One year and above)	–	₹ 50,000/–
(iv) Photography/Videography (3 months and above)	–	₹ 20,000/–

12. <u>नेत्रहीन/मानसिक रुप से दिव्यांग/निःशक्त वित्तीय सहायता अनुदान</u> – नेत्रहीन/मानसिक रुप से दिव्यांग/निःशक्त पूर्व सैनिकों/विधवाओं/आश्रितों (अधिकतम दो) को न्यूनतम 70% तक दिव्यांगता प्राप्त एवं नागरिक/सैन्य अधिकारियों द्वारा प्रद्दत चिकित्सा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर ₹ 1,000/– प्रतिमाह के दर से वार्षिक वित्तीय सहायता अनुदान दिया जाता है।

13. <u>टी0बी0/कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति को मासिक जेब भत्ता</u> – टी0बी0/कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति को उनके जेब खर्च के लिए ₹ 1,000/– प्रतिमाह, रोग के ठीक हो जाने तक दी जाएगी।

14. <u>कैंसर/डायलासिस चिकित्सा देखभाल वित्तीय सहायता</u> – भूतपूर्व भारतीय सेना के समस्त रैंकों के कैंसर/डायलासिस के रोगी को एक बार ₹ 1,00,000/– की वित्तीय सहायता उनके चिकित्सीय देखभाल हेतु दी जाती है।

15. <u>पूर्व सैनिकों/वीर नारियों/विधवाओं के बच्चों के सैनिक/मिलिट्री स्कूल/राष्ट्रीय इन्डियन मिलिट्री कॉलेज (RIMC) में नामांकन हेतु वित्तीय सहायता</u> – पूर्व सैनिकों/वीर नारियों/विधवाओं के बच्चों को सैनिक/मिलिट्री स्कूल/राष्ट्रीय इन्डीयन मिलिट्री कॉलेज (RIMC) में नामांकन हेतु ₹ 15,000/– की एक बार एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

16. <u>अनाथ अनुदान</u> – पूर्व सैनिकों/वीर नारियों/विधवाओं के ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता–पिता दोनों को खो दिया है उन्हें इस निदेशालय द्वारा ₹ 2,500/– प्रतिमाह की दर से निम्नलिखित पात्रता होने पर आर्थिक सहायता का भुगतान किया जाता है :–

(i) पुत्र की अवस्था में– उम्र 25 वर्ष से कम तथा बेरोजगार होनी चाहिए ।

(ii) पुत्री की अवस्था में – बेरोजगार तथा अविवाहित होनी चाहिए ।

17. <u>अक्षम सैनिकों के लिए गतिशिलता उपकरण</u> – भूतपूर्व भारतीय सेना के समस्त रैंकों के अक्षम सैनिक जिन्होंने सेवा निवृति से पूर्व अथवा सेवा निवृति के बाद 50% से ज्यादा अक्षमता ग्रहण किया है उनके लिए गतिशिलता उपकरण उपलब्ध कराने हेतु ₹ 75,000/– प्रदान किया जाता है।

18. <u>निराश्रित विधवाओं को आर्थिक सहायता</u>– भूतपूर्व भारतीय सेना के आर्थिक रुप से कमजोर वैसे विधवाएं जिनके पति का किसी भी कारण से पेंशन योग्य सेवा से पहले सेवानिवृत्ति हो चुके हों को ₹ 50,000/– की आर्थिक सहायता एक बार प्रदान किया जाता है।

नोट – योजनाओं को विस्तार से जानने के लिए कृप्या अपने आश्रित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से संपर्क करें।

सैनिक कल्याण निदेशालय द्वारा सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों/ विधवाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता विवरणी

क्रम सं0	वित्तीय सहायता प्रकार	राशि	अवधि
1.	द्वितीय विश्व युद्ध अनुदान	₹ 10,000/–	प्रतिमाह
2.	अंतिम संस्कार अनुदान	₹ 10,000/–	एक बार
3.	अनुग्रह अनुदान	₹ 2,00,000/–	एक बार, सेवा काल के दौरान मृत्यू पश्चात
		₹ 1,00,000/–	एक बार, सेवा काल में गंभीर रुप से घायल होने पर
4.	सहानुभूति अनुदान	₹ 5,000/–	प्रति वर्ष
5.	घरों की मरम्मति/नवीकरण	₹ 10,000/–	एक बार
	अतिरिक्त कमरा/स्नानघर/रसोई घर	₹ 30,000/–	एक बार
6.	कियोस्क अनुदान	₹ 30,000/–	एक बार
7.	विधवा पुनर्विवाह अनुदान	₹ 1,00,000/–	एक बार
8.	पुत्री विवाह अनुदान	₹ 50,000/–	एक बार
9.	शिक्षा अनुदान :– ➢ कक्षा पहली से पाँचवी तक ➢ कक्षा छठी से मैट्रिक तक ➢ मैट्रिक से उपर	 ₹ 6,000/– ₹ 8,000/– ₹ 12,000/–	प्रति वर्ष
10.	मेधावी प्रोत्साहन अनुदान (12वीं कक्षा):– ➢ 85% से 89% तक ➢ 85% से 89% तक	 ₹ 15,000/– ₹ 20,000/–	एक बार
11.	कंप्युटर कोर्स प्रतिपूर्ति शुल्क :– ➢ Basic Course (3 months and above) ➢ Certificate/Diploma Course (6 months and above) ➢ Graphic & Web Designing/ Artificial Intelligence/ Data Science (One year and above) ➢ Photography/Videography (3 months and above)	 ₹ 15,000/– ₹ 30,000/– ₹ 50,000/– ₹ 30,000/–	एक बार
12.	नेत्रहीन/मानसिक रुप से दिव्यांग/निःशक्त वित्तीय सहायता अनुदान (न्यून्तम 70% दिव्यांगता)	₹ 1,000/–	प्रतिमाह

क्रम सं0	वित्तीय सहायता प्रकार	राशि	अवधि
13.	टी0बी0 / कुष्ठ रोग मासिक जेब भत्ता (रोग के ठीक होने तक)	₹ 1,000 / –	प्रतिमाह
14.	कैंसर / डायलिसिस चिकित्सा देखभाल वित्तीय सहायता	₹ 1,00,000 / –	एक बार
15.	पूर्व सैनिकों / वीर नारियों / विधवाओं के बच्चों के सैनिक / मिलिट्री स्कूल / राष्ट्रीय इन्डियन मिलिट्री कॉलेज (RIMC) में नामांकन पश्चात वित्तीय सहायता	₹ 15,000 / –	एक बार
16.	अनाथ अनुदान	₹ 2,500 / –	प्रतिमाह
17.	गतिशिलता उपकरण अनुदान (पूर्व अक्षम सैनिकों हेतु)	₹ 75,000 / – (दो किस्तों में)	एक बार
18.	निराश्रित विधवा आर्थिक सहायता	₹ 50,000 / –	एक बार